भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office (Central Region)

सत्यमेव जयते

जहाँ है हरियाली ।
वहाँ है खुशहाली ॥

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/यू0पी0/06/8/2018/एफ.सी./322 **दिनॉक : 02.08.2018**

सेवा में,

विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन,
बापू भवन, लखनऊ।

<u>ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/others/23174/2016</u>

विषयः हरदोई में बिलग्राम–उन्नाव मार्ग एस0एच0–38 के किमी0 01 से 02 के मध्य बायीं पटरी पर ग्राम चांदपुर बाहर परगना व तहसील बिलग्राम के गाटा सं0–229 व 230 पर एच0पी0सी0एल0 द्वारा स्थापित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.08471 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 20 पौधों (पूर्व में प्रस्तावित 46) के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ–: विशेष सचिव(वन), उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक–पी–129/14–2–2018–800(82)/2017, दिनांक–13.07.2018.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें उक्त प्रकरण में समसंख्यक पत्र दिनांक– 15.02.2018 द्वारा सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालना विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। उक्त प्रकरण के संबंध में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त प्रस्तावित संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 20 पौधों (पूर्व में प्रस्तावित 46) के पातन प्रस्तावित है जबकि उपरोक्त पत्र में संलग्न मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल के संलग्नक अनुपालन आख्या में 46 वृक्षों का पातन अपरिहार्य है दर्शाया गया है। यदि प्रस्ताव में 46 वृक्षों का पातन सन्निहित है तो 46x10=460 वृक्षों का वृक्षारोपण स्कीम 10 वर्षों के रखरखाव के व्यय को सम्मिलित करते हुए सम्मिलित करते हुए प्रस्तुत करें। उक्त पत्र में वर्तमान स्थिति से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(के0के0 तिवारी)
वन संरक्षक (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेष, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उ0प्र0, लखनऊ।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, हरदोई।
4. मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, एच0पी0सी0एल0, प्लाट नं0 1, नेहरू इनक्लेव, गोमती नगर, लखनऊ।
5. वैयक्तिक सहायक, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
6. आदेश पत्रावली।

2.8.18

(के0के0 तिवारी)
वन संरक्षक (के0)